**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1540**

**उत्तर देने की तारीख-09/02/2026**

**कर्नाटक में आरयूएसए निधि की लेखापरीक्षा**

†1540. **डॉ. के. सुधाकर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तहत कर्नाटक के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को जारी की गई निधि की लेखापरीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आरयूएसए निधि का कर्नाटक के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उचित उपयोग किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का कोई अवसंरचना आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा परिसरों में बुनियादी ढांचे से संबंधित अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) यदि नहीं, तो उक्त राज्य के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अवसंरचना का निरीक्षण करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (ङ): सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक बिना सुविधा वाले और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को मज़बूत करने के लिए 12,926.10 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ जून 2023 में शिक्षा मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा) आरंभ किया।

इस योजना के तहत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें कार्यान्वयन भागीदार हैं इसलिए कार्य सामान्यत: उनके द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, स्वीकृत मानदंडों और मानकों के अनुसार किए जाते हैं ताकि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अवसंरचना विकास की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के तहत, सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर योजना की नियमित लेखापरीक्षा की जाती है। विभिन्न सहायित एचईआई के व्यय के लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे का अनुदान जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एक समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) मांगा जाता है। मंत्रालय इस योजना के तहत विभिन्न समीक्षा बैठकों, वास्तविक दौरों आदि के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की भी समीक्षा करता है।

*****